अनुदान संख्या 56 – संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 56–TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	607,03,00		823,29,00	791,54,00	–31,75,00
पूरक	Supplementary	216,26,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					31,75,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	408,97,00		412,97,00	412,97,00	. .
पूरक	Supplementary	4,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (3175.00 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 21626.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.3175.00 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grants of Rs.21626.00 lakhs obtained in December,2004 and March,2005 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	60703.00			
पू.	S.	21626.00	79154.00	79154.00	. .
पु.	R.	–3175.00			

(I) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''योजनेत्तर अनुदान - योजनेत्तर घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान - पांडिचेरी''- 36100.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 6983.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ा कर 43083.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सहमति के अनुसार अनुदान के पूंजीगत भाग के अंतर्गत कर्ज संघटक को बढ़ाने के लिए उतनी ही राशि का तकनीकी पूरक अनुदान प्राप्त करने के लिए निधियों का अभ्यर्पण किए जाने के कारण 400.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) ''संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली''- 12405.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 5870.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 18275.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और व्यय विभाग द्वारा यथेष्ट राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में कमी किए जाने की वजह से कम निधियां जारी किए जाने के कारण 2775.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary grant obtained under the following heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) “Non-Plan Grants-Grants to meet Non-Plan deficit-Pondicherry”- the original provision of Rs.36100.00 lakhs was augmented to Rs.43083.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.6983.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.400.00 lakhs - due to surrender of the funds to obtain technical supplementary grant of the same amount to enhance loan component under capital section of the grant as agreed to by the Ministry of Finance.

(B) “Grants for Union Territory Plan Schemes-Block Grants-National Capital Territory of Delhi”- the original provision of Rs.12405.00 lakhs was augmented to Rs.18275.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.5870.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2775.00 lakhs - due to release of less funds owing to reduction of additional central assistance under National Common Minimum Programme as desired by the Ministry of Human Resource Development and Department of Expenditure.